न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 2/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

प्रभु उर्फ प्रभुलाल पिता वजा जी भील, निवासी घाटा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मुश्ताक अहमद पिता श्री अमीर खां मुसलमान, निवासी पातेला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. मोहम्मद अशफाक पिता श्री फतेह मोहम्मद छीपा, मुसलमान, निवासी पातेला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम – 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलेक्टर डूंगरपुर दिनांक
21–12–2016, प्रकरण संख्या 2/16

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री हितेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पी.पी. गोस्वामी अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 28–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व सरकार के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चक घाटा के खसरा नंबर 2 में से 1.5 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 1 को मिसल संख्या 7/89 से कैम्प थाणा में आवंटित की गयी, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि विलीनीकरण से पूर्व डूंगरपुर राज्य एक स्वतंत्र एवं सार्वभौम राज्य होकर इसके शासन में समस्त

शक्तियां निहित थी तथा इसके शासक महाराणा लक्ष्मणसिंह जी थे, जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ श्रीमती बबलीबाई जोजे शंकरलाल मेवाडा कुम्हार को 30 बीघा भूमि दिनांक 05–08–1964 को दी जाकर भण्डारिया बीड नामक भूमि में कब्जा सिपुर्द किया गया। प्रकरण संख्या 1/72 में चली अवाप्ति कार्यवाही में पारित निर्णय दिनांक 31–05–1976 में दिनांक 01–12–1969 के पूर्व के उपरोक्त हस्तान्तरणों को वैध माना गया, जिससे बबलीबाई को किया गया हस्तारण वैध है। तत्कालीन महारावल डूंगरपुर की निजी भूमियों का भू–प्रबन्ध नहीं हुआ था, जिससे उक्त भूमियों की पहचान भण्डारिया बीड के नाम से की गयी थी। उक्त भूमि पर बबलीबाई सन् 1964 से लगातार काबिज रही तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 1988 में उक्त भूमि का विक्रय प्रार्थीगण को कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है एवं भूमि काश्त योग्य बनाने में काफी धन राशि खर्च की है। उक्त भूमि भू–प्रबन्ध के दौरान बिलानाम अंकित कर दी गयी है, जबकि प्रार्थीगण इस पर 1964 से बबलीबाई के वैध अधिकारों के जरिये काबिज चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 गत माह मौके पर आये एवं उक्त भूमि उन्हें आवंटित होने को कहने लगे तो प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवाई गयी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि विपक्षी संख्या 1 ने गुपचुप तरीके से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त भूमि में से 1.5 हैक्टर भूमि अपने नाम आवंटित करवा ली है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 101 के तहत कृषि भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र 3 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन किस दिनांक को एवं कहा प्रस्तुत किया गया, यह आवेदन पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है तथा आवेदन पत्र पर विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर नहीं है, प्रमाणीकरण में मात्र विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर हैं, किन्तु न तो साक्षी के हस्ताक्षर है, न ही कोई दिनांक अंकित है। भूमि गांव चक घाटा में स्थित है, जबकि आवंटन कमेटी की बैठक ग्राम पंचायत थाना पर हुई है, जिससे आवंटन नियमों की अनदेखी की जाकर फ्रोड एवं मिस रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर उक्त आवंटन किया जाने से निरस्त योग्य है। आवंटन प्रपंत्र में आवंटी द्वारा 1 बीघा भूमि चाही गयी है तथा पटवारी हल्का द्वारा भी 1 बीघा भूमि चाहता है का अंकन किया गया है, फिर भी 1.5 हैक्टर भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा सन् 1964 से अपने पूर्वाधिकारी के समय से

चला आ रहा है। आवंटन की समस्त कार्यवाही नियमों के परिप्रेक्ष्य में नहीं होकर दूषित होने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत होने पर विपक्षी/अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये तथा उक्त नोटिस की तामिल मानकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10–06–2016 को अपीलान्ट/विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये तथा रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण के आवेदन पर सरकार की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 21–12–2016 से अपीलान्ट/विपक्षी संख्या के पक्ष में जारी आवंटन खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 21–12–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27–12–2017 को जब हल्का पटवारी मौके पर आये तथा कहा कि तुम्हारा आवंटन निरस्त हो चुका है, तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समय सीमा में प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ–पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री पी. पी. गोस्वामी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर बहस में भाग लिया एवं प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस में दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलार्थी द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन कृषक होने से उसे विधिवत मिसल संख्या 7/89 से दिनांक 30–05–1989 को आवंटन किया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 31 उसके पक्ष में स्वीकृत होकर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 को कभी भी अधिनस्थ न्यायालय के नोटिस तामिल नहीं हुए हैं तथा उसे बिना सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 के 28 वर्ष पुराने आवंटन को खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद उसे बिना सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। यदि आवंटन में कोई तकनीकि त्रुटि रही है तो इसके लिए संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व है। अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 किसी प्रकार का फ्रोड व मिस रिप्रेजेन्टेशन नहीं किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया तो प्रकट आया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने से गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए फ्राड एवं मिस रिप्रेजेन्टशन के आधार पर परीक्षण कर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य गांव में आवंटन कमेटी गठित किया जाना तथा आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 के आवंटन को मिस रिप्रेजेन्टशन के आधार पर होना मानकर खारिज किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त आवंटन का नामान्तरकरण संख्या 7 चक घाटा का अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। उक्त नामान्तरकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश से आवंटन किये जाने का अंकन है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह आवंटन विशेष अभियान के तहत किया गया है, जिसमें संबंधित ग्राम एवं पंचायत मुख्यालय के स्थान पर अन्य ग्राम में आवंटन किये जाने की शक्तियां राज्य सरकार द्वारा दी जाती रही हैं। आवंटन आदेश पर विकास अधिकारी, प्रधान, तहसीलदार व सरपंच के हस्ताक्षर हैं, उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर होने की कोई उपादेयता नहीं है, क्योंकि हस्ब नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है,

बल्कि अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा किया गया है तथा आवंटन स्थल से पृथक आवंटन स्पष्टतया किसी अभियान के तहत किये जाने का उल्लेख है। रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण स्वयं को महारावल के क्रेता बबलीबाई का क्रेता होना बताते हैं तथा स्वयं को अतिक्रमी होना भी पी–14 के बरूऐ बताते हैं। आवंटन के 28 वर्षो बाद रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवंटन पश्चात् आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं, जिससे स्पष्ट है कि आवंटी काबिज होकर उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण अतिक्रमी के रूप में होना स्पष्ट है एवं अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो भी तकनीकि आधार वर्णित किये गये हैं, उसमें अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 का साशय किसी भी प्रकार से फ्रोड, मिस रिप्रेजेन्टेशन अथवा धोखाधड़ी से आवंटन कराया जाना प्रमाणित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थीगण का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होने हुए भी आवंटन के 28 वर्षो बाद तथा खातेदारी मिल जाने के बाद विधिवत किये गये आवंटन फ्रोड एवं मिस रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर खारिज कर दिया है, जो निसंदेह त्रुटि पूर्ण है।

अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर. आर.डी. 1999 पेज 128 पेश की है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि तकनीकि आधारों पर आवंटन के 20 वर्षो बाद आवंटन निरस्त किया जाना त्रुटि पूर्ण है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 185 में यह वर्णित किया गया है कि आवंटन के 10 वर्षो बाद खातेदारी प्राप्त हो जाने से आवंटन तकनीकि आधारों पर निरस्त नहीं किया जा सकता।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (15) 2008 पेज 435 प्रस्तुत की है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्तीकरण सिर्फ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत की किया जा सकता।

उपरोक्त सभी न्यायिक नजीरें वर्तमान प्रकरण से सुसंगत है। अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 को 28 वर्ष पूर्व आवंटन किया गया है तथा उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं एवं आवंटन विधिवत अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश से किया जाना सुस्पष्ट है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विधिवत किये गये आवंटन को निरस्त किया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21–12–2016 यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम चक घाटा की आराजी नंबर 2 रकबा 1.5 हैक्टर का किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर